कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं पदेन उप सचिव
म0प्र0शासन, राजस्व विभाग

प्र0क्र0 09 अ–82 / 17–18 / चिचण्डा / 8613 बैतूल दिनांक 16 – 7–2018
17-7-18

घोषणा

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(है0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	चिचण्डा	5.272	चिचण्डा लघु जलाशय (स्टोरेज)

अनुसूची – 2
(प्रभावित धारको की सूची)

स0 क0	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जित रकबा हे0 में
1	2	3	4	5
1	चंद्रभान, रायभान, श्यामराव व0 लोधा सा देह भूमि स्वामी	567 564/1	0.809 1.807	0.809 1.600
2	दुर्गाबाई जौजे सीताराम मेहरा सा देह भूमि स्वामी	564/2	2.531	2.031
3	हरिराम व0 जयराम सा देह भूमि स्वामी	563/10	0.054	0.054
4	हरिराम व0 जयराम सा देह भूमि स्वामी	548/7 563/6 563/7	0.362 0.310 0.106	0.362 0.310 0.106
	योग		5.979	5.272

(2) चूंकि चिचण्डा जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू–अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार ,

(शशांक मिश्र) 17/7
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

पृ0क0 09 अ—82/17—18/चिचण्डा/8613 बैतूल दिनांक 16— 7—2018 17-7-18

प्रतिलिपिः—

1— उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2— संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3— कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4— प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5— प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6— अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7— तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू—अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9— सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत चिण्डा तहसील ~~भैंसदेही~~ मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग